न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 115 दायर दिनांक : 02.09.2019

राजविन्द्रकौर पत्नी बसन्तसिंह पुत्री गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी बूड़सिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) –वादीया

बनाम

1. भगवानसिंह } पुत्रगण गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया
2. नायबसिंह } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. दलीपकौर पत्नी गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सुखविन्द्रकौर पत्नी जसपालसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. हरजिन्द्रसिंह पुत्र जसपालसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. रामजीतकौर पत्नी जगदेवसिंह पुत्री गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी बूड़सिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. परमजीतकौर उर्फ कर्मजीतकौर पत्नी गुरदीपसिंह पुत्री गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी अराईयांवाली
8. जगसीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. बलजीतसिंह पुत्र कपूरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
10. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
11. प्रबन्धक, एम.जी.बी. बैंक, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण सं. : 75 दायर दिनांक : 02.09.2019

राजविन्द्रकौर पत्नी बसन्तसिंह पुत्री गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी बूड़सिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) –प्रार्थीया

बनाम

.... पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

1. भगवानसिंह } पुत्रगण गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया
2. नायबसिंह } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. दलीपकौर पत्नी गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सुखविन्द्रकौर पत्नी जसपालसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. हरजिन्द्रसिंह पुत्र जसपालसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. जगसीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. बलजीतसिंह पुत्र कपूरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
9. उप–पंजीयक, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री रामप्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक, अभिभाषकगण वादीया/प्रार्थीया की ओर से
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 2, 4 व 5 की ओर से
3. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक वाद–पत्र में प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 की ओर से व प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 की ओर से
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 13.08.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 6, व 7 के पिता, प्रतिवादीया सं. 3 के पति, प्रतिवादीया सं. 4 के ससुर व प्रतिवादी सं. 5 के दादा गुरनामसिंह पुत्र चतरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया के नाम से चक 26 एम.ओ.डी. के पत्थर नं. 13/262 (25) के किला नं. 17, 18, 22, 23 = 0.656 है0 व पत्थर

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

नं. 14/263 (27) के किला नं. 2, 8, 9, 13 = 0.955 है0, कुल 1.611 है0 नहरी मय रास्ता खातेदारी भूमि व चक 27 एम.ओ.डी.'बी' के पत्थर नं. 16/270 (13) के किला नं. 1 ता 15 = 3.795 है0, पत्थर नं. 17/271 (21) के किला नं. 11 ता 20 = 2.530 है0, पत्थर नं. 16/273 (30) के किला नं. 24–25 = 0.316 है0 व पत्थर नं. 15/274 (35) के किला नं. 1 ता 5 = 1.110 है0, कुल 7.751 है0 नहरी मय खाला मय रास्ता खातेदारी भूमि थी। वादीया के पिता गुरनामसिंह ने अपने जीवन में दों विवाह किये थे, पहला विवाह जंगीरकौर के साथ किया था, उसके कोई औलाद नहीं होने से दूसरा विवाह प्रतिवादीया सं. 3 दलीपकौर के साथ किया, जिससे वादीया, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2, प्रतिवादीया सं. 3 के पति, प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 पैदा हुए। वादीया के पिता ने अपनी चक 26 एम.ओ.डी. व चक 27 एम.ओ.डी.'बी' की भूमि की कमाई से प्रतिवादीया सं. 3 जंगीरकौर को चक 32 एम.ओ.डी. में करतारसिंह वगैरह से जरिये बैयनामा दिनांक 05.07.1965 को 180 हिस्सा भूमि खरीद कर दी है जो वर्तमान में चक 32 एम.ओ.डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता सं. 46/38 के पत्थर नं. 26/261 (16) के किला नं. 3, 4, 7, 14 ता 17, 24, 25 = 2.277 है0 अ.क.बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो वादीया के पिता के द्वारा खरीद की जाने से विरासतन भूमि की श्रेणी में आती है। इस प्रकार उक्त तीनों चकों की कुल 11.639 है0 भूमि विरासतन भूमि की श्रेणी में आती है। वादीया का परिवार हिन्दू परिवार है जो हिन्दू विधि से शासित होता है। गुरनामसिंह के देहान्त होने के पश्चात् वादीया सहित उनके कुल 7 वारिस जायज एवं कानूनी वारिस हैं जिनका उक्त कुल भूमि में प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा विरासतन बनता है। वादीया ने अपने जीवनकाल में अपने उक्त विरासतन प्राप्त 1/7 हिस्सा भूमि को भाइयों को ना तो बेचान की है व ना ही दान की है एवं ना ही हक परित्याग किया है। वादीया के भाई प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर, वादीया को छिपाते हुए गुरनामसिंह के 6 वारिस बनाये व वादीया का हक उनमें समाहित करते हुए प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 से अपने हक में विरासतन भूमि का हक परित्याग करवा लिया, जबकि उनका इतना हक विरासतन नहीं बनता। वादीया ने उक्त भूमि

..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

में से अपने 1/7 हिस्सा भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करने व घोषणा की भूमि का खाता विभाजन कर खाता अलग कायम करने एवं प्रतिवादी सं. 1 भगवानसिंह द्वारा विक्रय की गई भूमि उसके हिस्से से कम कर खाता कायम करने का निवेदन किया। वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते स्थगन आदेश प्रस्तुत हुआ जो पत्रावली सं. 75 दिनांक 02.09.2019 पर दर्ज हुआ। दोनों सम्बन्धित पत्रावलियां होने से दोनों पर एक साथ विचार कर निर्णय किया जा रहा है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 सुखविन्द्रकौर पत्नी जसपालसिंह व हरजिन्द्रसिंह पुत्र जसपालसिंह, जिन्हें आगे प्रार्थीगण कहा जावेगा, ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया, जिसे आगे अप्रार्थीया कहा जावेगा, ने वारिस की घोषणा एवं पंजीकृत अभिलेख को निरस्त करने के अनुतोष चाहे हैं, जो कि काश्तकारी अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं, बल्कि व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के हैं। वाद कानून से प्रतिबन्धित (Barred by law) होने से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 की उपधारा (d) के अन्तर्गत आने से निरस्ती के योग्य है। साथ ही कम कोर्ट फीस पर वाद प्रस्तुत होने से आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया की परिधि में आने से वाद को निरस्त करने का निवेदन किया। अप्रार्थीया ने इसका खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की कम स्टाम्प व क्षेत्राधिकार विहीन कानून से प्रतिबन्धित होने का आरोप निराधार लगाये होने से प्रार्थीगण (मूल वाद में प्रतिवादीगण सं. 4 व 5) का प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रार्थना–पत्र पर पक्षकारान के तर्क सुने गये। प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया (अप्रार्थीया) ने अपना हक अंकित काश्तकार गुरनामसिंह की पुत्री के आधार पर जैरवाद भूमि में 1/7 हिस्सा की घोषणा चाही है। यह घोषणा बिना वारिस की घोषणा प्राप्त किये

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

नहीं दी जा सकती एवं वारिस की घोषणा का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है। साथ ही घोषणा बतौर काश्तकार बिना कब्जा दी जाने योग्य नहीं। घोषणा में कब्जा होना अनिवार्य है। वर्तमान प्रकरण में घोषणा विक्रय विलेख बहक मूल वाद में प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 के विरुद्ध चाही है, जो विक्रय विलेख को निरस्त किये बिना नहीं दी जा सकती। विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है। वाद कम कोर्ट फीस पर प्रस्तुत होने एवं कानून से प्रतिबन्धित (Barred by law) होने से वाद निरस्त करने की प्रार्थना की। तर्कों के समर्थन में न्याय उद्धरण प्रकाशित आर.आर.टी. 2012 पेज सं. 693, आर.आर.डी. 2018 पेज सं. 44, सी.जे.(सिविल) 2017(3) पेज सं. 2036 व सी.जे.सिविल (राज.) 2019(1) पेज सं. 249, आर.आर.टी. 2011(2) पेज सं. 1170, आर.आर.टी. 2018(1) पेज सं. 31 व आर.आर.टी. 2017(2) पेज सं. 1037 प्रस्तुत किये। दूसरी ओर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया (मूल वाद में वादीया) ने तर्क दिया कि उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की घोषणा उनके द्वारा नहीं चाही गयी। वाद के साथ प्रस्तुत धारा 212 आर.टी.ए. के प्रार्थना–पत्र में आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान प्रभाव नहीं रखते। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण आधारहीन होने से निरस्त करने की प्रार्थना की। साथ ही निवेदन किया कि जवाब–दावा पेश किये बिना प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पोषणीय नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में न्याय उद्धरण प्रकाशित आर.आर.टी. 2017(2) पेज सं. 92, आर.आर.टी. 2017 पेज सं. 1174, आर.आर.टी. 2011(1) पेज सं. 237, आर.आर.टी. 2011(2) पेज सं. 1344, आर.आर.टी. 2012 पेज सं. 927, आर.आर.टी. 2017(2) पेज सं. 902, आर.आर.टी. 2018(1) पेज सं. 584, आर.आर.टी. 2018(2) पेज सं. 1425, आर.आर.टी. 2019(1) पेज सं. 117, सी.जे. (सिविल) राज. 2017(3) राज. पेज सं. 1913, सी.जे. (सिविल) राज. 2018(2) पेज सं. 1100 व सी.जे. (सिविल) राज. 2019(3) पेज सं. 1643 पेश किये।

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने व प्रस्तुत न्याय निर्णयों का ध्यानपूर्वक आदर सहित पठन व मनन करने के उपरान्त पाया जाता है कि प्रस्तुत न्याय निर्णयों

क्रमशः... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

के अनुसार किसी वाद को कभी वाद शुल्क के आधार पर आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरस्त किया जाना उचित नहीं है। स्टाम्प की कमी को पूर्ण करने का वादी को समय दिया जा सकता है। समयावधि में न्याय शुल्क जमा ना कराने पर ही वाद आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किया जा सकता है। इस मामले में सारवान प्रश्न यह है कि आया ''वादीया को हेतुक प्राप्त है या नहीं'', व द्वितीय आया ''वादीया को वारिस घोषित हुए बिना वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं''। इन दोनों बिन्दुओं पर विचारण करने पर यह पाया जाता है कि वादीया घोषित रूप से गुरनामसिंह की पुत्री है, इस सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय से विचारण पश्चात् वारिसनामा प्राप्त किये बिना सीधे ही इस राजस्व न्यायालय के माध्यम से वादीया मूल खातेदार गुरनामसिंह की वारिस नहीं बन सकती। इस घोषणा के अभाव में ना तो उसे वाद हेतुक (Cause of action) विरुद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त होता है व ना ही वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकती है। वाद अंकित कथनों के अनुसार वारिस की घोषणा व्यवहार न्यायालय ही कर सकता है। राजस्व न्यायालय स्वयं किसी मृतक व्यक्ति के वारिस सम्बन्धी जांच नहीं कर सकता। इस बिन्दु पर निर्णय करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है। द्वितीय अप्रार्थीया (मूल वाद में वादीया) का जैरवाद भूमि पर कब्जा भी नहीं है। इस आधार व बिना वादग्रस्त भूमि पर कब्जा हुए, अकेला धारा 88 आर.टी.ए. का वाद नहीं सुना जा सकता। इस बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण (मूल वाद में प्रतिवादीगण सं. 4 व 5) द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय सी.जे.सिविल (राज.) 2019(1) पेज सं. 249 व आर.आर.टी. 2011(2) पेज सं. 1170 पूर्णतया प्रभावशील प्रतीत होते हैं। न्याय निर्णय सी.जे.सिविल (राज.) 2019(1) पेज सं. 249 के अनुसार "Code of Civil Procedure, 1908 – Order 7, Rules 10 – Hindu Succession Act, 1956 – Rajasthan Tenancy Act, 1955 – Sec. 207 – Return of plaint for filling the same before Revenue Court – Justification – Declaration of inheritance was sought on the ground of being the legal heirs of deceased – Plaint revealing that the deceased predecessors has died leaving no heirs of class I – Request to declare as successor of the concerned deceased person-Such right flows from Hindu Succession Act but not from Tenancy Act – Held, civil suit filed by petitioners was maintainable before Civil Court" अर्थात

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

शेष ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

"उत्तराधिकार या पूर्ववर्ती की वारिसी के अधिकार के आधार पर घोषणा चाही गयी–वादपत्र यह दर्शित कर रहा कि कोई भी प्रथम श्रेणी उत्तराधिकार छोड़े बिना मृतक पूर्वजों की मृत्यु हुई–सम्बन्धित मृतक व्यक्तियों के उत्तराधिकारी की घोषणा करने की प्रार्थना–इस प्रकार का अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से प्रभावित होता है न कि काश्तकारी अधिनियम से–निर्धारित, प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत किया गया सिविल वाद सिविल न्यायालय के समक्ष पोषणीय था" एवं न्याय निर्णय आर.आर.टी. 2011(2) पेज सं. 1170 के अनुसार "Rajasthan Tenancy Act, 1955 – Sec. 88 – Suit for declaration – No possession of plaintiff – Suit can not be filed for declaration." अर्थात "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88–घोषणा हेतु वाद–वादी का कब्जा नहीं–घोषणा हेतु वाद पेश नहीं किया जा सकता।" Important Point :- Suit cannot be filed for declaration in absence of the possession.

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण (मूल वाद में प्रतिवादीगण सं. 4 व 5) स्वीकार कर वाद अप्रार्थीया (मूल वाद में वादीया) अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। प्रार्थना–पत्र बाबत स्थगन आदेश पत्रावली संख्या 75/2019 मूल वाद के चलन के दौरान ही चलन योग्य है। चूंकि मूल वाद निरस्त हो चुका है, इसलिए 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया (प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. में प्रार्थीया का मूल वाद निरस्त होने से) निरस्त किया जाता है। दोनों पत्रावलियों में निर्णय की नकल रखी जावे। दोनों पत्रावली निरस्त कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

राजविन्द्रकौर पत्नी बसन्तसिंह पुत्री गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी बूड़सिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) –वादीया

बनाम

1. भगवानसिंह } पुत्रगण गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया
2. नायबसिंह } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. दलीपकौर पत्नी गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सुखविन्द्रकौर पत्नी जसपालसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. हरजिन्द्रसिंह पुत्र जसपालसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. रामजीतकौर पत्नी जगदेवसिंह पुत्री गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी बूड़सिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. परमजीतकौर उर्फ कर्मजीतकौर पत्नी गुरदीपसिंह पुत्री गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी अराईयांवाली
8. जगसीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. बलजीतसिंह पुत्र कपूरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
10. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
11. प्रबन्धक, एम.जी.बी. बैंक, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

वाद अन्तर्गत 88, 53, 188, 207 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 115 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादीया श्री रामप्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2, 4 व 5 श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 8–9 श्री राजवीर भादू एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वाद वादीया निरस्त किया जाता है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13.08.2020 को जारी की गई।

Signature Not Verified

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:01:24 IST
Reason: SelfAttested